संo-828/43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 28 जून 2010

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के शासनादेश संo : 273/43–2–2010, दिनाँक 9 मार्च, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त पत्र में यह निर्देश दिये गये थे कि लोक प्राधिकरण किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा संरक्षित है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिये।

3– गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के प्रकटन के संबंध में माo उच्चतम न्यायालय ने देवदत्त बनाम भारत सरकार सिविल अपील संo– 7631/2002, में संबंधित अधिकारी को उसकी वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की प्रति प्रदान किये जाने को बाध्यकारी माना है।

माo सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्राधिकरण किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य है। जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकट किये जाने का प्रश्न है उस स्थिति में यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिये।

प्रशासनिक सुधार विभाग का शासनादेश दिनाँक 9 मार्च, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।